भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1797
(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

वीबी जी राम जी का कार्यान्वयन

1797. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों के लिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) क्या रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य दिवसों में वृद्धि की गई है;

(ग) क्या इस योजना में कोई अनियमितताएं हैं और यदि हां , तो सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) मेडक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इस योजना के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है और अब तक कितने रोजगार सृजित हुए हैं; और

(ङ) क्या विशेषकर मेडक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वीबी जी राम जी योजना और रोजगार गारंटी योजना में किसी अनियमितताओं की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): विकसित भारत—रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025, प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ पच्चीस दिनों के सुनिश्चित मजदूरी रोजगार का प्रावधान करता है।

यह उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 100 दिनों के मजदूरी रोजगार के प्रावधान की तुलना में नए अधिनियम के तहत अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसमें किसान भी शामिल हैं , के लिए सुनिश्चित मजदूरी रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है , तो श्रमिक अनिवार्य बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। इस प्रकार, रोजगार और आजीविका सुरक्षा दोनों को विधिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, विकसित भारत—रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) [वीबी–जी राम जी] अधिनियम मात्र एक रोजगार कार्यक्रम नहीं है। यह जल सुरक्षा , मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका-संबंधी गतिविधियों तथा चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने से संबंधित कार्यों के चार विषयगत क्षेत्रों के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने हेतु निर्मित एक व्यापक रूपरेखा है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत अनेक कार्य कृषि परितंत्र को सुदृढ़ करते हैं तथा किसानों को सहायता प्रदान करते हैं। यह अधिनियम कृषि की व्यस्ततम अवधि के दौरान श्रमिकों की उपलब्धता को सुगम बनाकर किसानों की सहायता करता है। व्यापक रूप से यह मान्यता प्राप्त है कि बुवाई और कटाई की व्यस्ततम अवधि में किसानों को प्रायः श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे फसल की हानि हो सकती है। इस समस्या के समाधान हेतु राज्यों को वर्ष के दौरान कुल 60 दिनों की अवधि अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान किया गया है , जिन दिनों में कार्यक्रम के कार्य रोके जा सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कृषि कार्य निर्बाध रूप से संचालित रहें तथा किसानों को उनकी सर्वाधिक आवश्यकता के समय समयोचित श्रम सहायता प्राप्त हो। यह प्रावधान कृषक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है।

नया अधिनियम जल सुरक्षा पर विशेष बल देता है , जो कृषि के लिए आधारभूत है। तालाब , चेक डैम, खेत तालाब, नहरें, भूजल पुनर्भरण संरचनाएँ तथा सूक्ष्म सिंचाई सहायता प्रणालियों जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। ये कार्यकलाप सिंचाई कवरेज का विस्तार करेंगे, अनियमित वर्षा पर निर्भरता को कम करेंगे तथा फसलों की अनुकूलता को सुदृढ़ बनाएंगे। यह दृष्टिकोण केवल वर्तमान आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है , बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

अधिनियम यह भी मान्यता देता है कि किसानों की चुनौतियाँ केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रहतीं। फसल कटाई के बाद का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अतः अनुमेय कार्यों में खेत-स्तरीय भंडारण, गोदाम, ग्रामीण हाट तथा शीत-भंडारण अवसंरचना का सृजन भी सम्मिलित है। ये सुविधाएँ किसानों को अपनी उपज को सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने , मजबूरी में कम कीमत पर

बिक्री से बचने तथा बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने में सहायता करती हैं , जिससे कृषि आय में वृद्धि होती है।

इसके अतिरिक्त , अधिनियम जलवायु परिवर्तनशीलता तथा प्राकृतिक आपदाओं से बढ़ते जोखिमों के प्रति भी संवेदनशील प्रतिक्रिया देता है। बाढ़ नियंत्रण , तटबंध निर्माण, जल संरक्षण, आपदा आश्रय तथा आपदा-उपरांत पुनर्निर्माण से संबंधित कार्यों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इससे संकट की परिस्थितियों में रोजगार सृजन के साथ-साथ गाँवों और कृषि भूमि की अनुकूलता सुदृढ़ होती है।

नया अधिनियम कृषि से संबद्ध विविधीकृत आजीविकाओं जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, वर्मी-कम्पोस्टिंग, नर्सरी, बागवानी तथा मूल्य संवर्धन गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करता है। इससे किसानों को आय के अनेक स्रोत विकसित करने , स्थानीय अवसरों का सृजन करने , विवश प्रवासन को कम करने तथा समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायता मिलती है।

(ग) से (ङ): यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित भारत—रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) [वीबी-जी राम जी] की शुरुआत के बाद राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी-अपनी योजनाएँ अधिसूचित करेंगे तथा उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया आरम्भ करेंगे।

****